अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–2515007890102–20

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/83 /2014–1/282/2014 लखनऊः दिनांक 17 अक्टूबर, 2014

विषयः राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 की स्वीकृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–83 आयोजनागत मद में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–8/2564/33–3–2014–100(22)/2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 (प्रति संलग्न) द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 की स्वीकृत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–83 आयोजनागत मद में आय–व्ययक में राजस्व मद में प्राविधानित धनराशि रू0–700.00 लाख के सापेक्ष राज्यांश के रूप में **रू0–33.549 लाख (रूपया तैंतीस लाख चौवन हजार नौ सौ मात्र)** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेगें कि उक्त योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014–15 में कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–2467/दस–2014–231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्त आय–व्ययक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–बी–2–2528/दस–2014–10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 में निहित शर्तो तथा निर्देशों का अनुपालन आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

5– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या– 83 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102–राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के.75/रा. 25के.+रा.)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

7– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

9— आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

10— उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

11— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—74पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा0 /83/1/2014 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
6— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7— संयुक्त निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उ0प्र0।
8— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवंटन दिनांक-17/10/2014

प्रेषण संख्या:- 1-sha-83-2014-1-282-2014
आवंटन आदेश संख्या:- 001-282-2014
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 - केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें
02 - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के.75/रा.25-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	3354900 3354900	3354900 3354900
	योग	वर्तमान प्रगामी	3354900 3354900	3354900 3354900

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तैंतीस लाख चौवन हजार नौ सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तैंतीस लाख चौवन हजार नौ सौ

(शहजाद अहमद अंसारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

संख्या- 8 / 2564/33-3-2014-100(22)/2014

प्रेषक,

राकेश कुमार
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊः दिनांकः 14 अक्टूबर, 2014

विषय- राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत 2012-13 की स्वीकृत योजना के सापेक्ष अनुदान संख्या-83 में राज्यांश अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4/469/2014-4/34/2014, दिनांक 17 जुलाई,2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2467/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में उक्त योजनान्तर्गत राजस्व मद में प्राविधानित धनराशि रू0 700.00 लाख में से रू0 33.549 लाख (रू0 तैतीस लाख चौवन हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित /व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित /व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014-15 में कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय /उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2467/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 में निहित शर्तो तथा निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5)उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी

आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक -2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें'0102-राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (के075/रा.25के./रा)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस'2008-मित-1/2007, दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(10) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक, पंचायती राज इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 प0सं0-ई-2-896 /दस-14, दिनांक 13.10.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव